न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 221/2020 – निगरानी

1. रमेश चन्द्र पुत्र लक्ष्मी चन्द्र जायसवाल, निवासी पाटन
2. सांवर लाल पुत्र शिव लाल मोठिया, निवासी पाटन
3. बंशीधर पुत्र नारायण लाल मोठिया, निवासी पाटन
4. सुंरजमल पुत्र गणेश लाल गुर्जर, निवासी पाटन
5. महेन्द्र तेली पुत्र मदन लाल तेली, निवासी पाटन
6. गणेश जायसवाल पुत्र सुवा लाल जायसवाल, निवासी पाटन
7. इन्दूमल पुत्र श्रीराम गुर्जर, निवासी पाटन
8. रामपाल पुत्र गणेश लाल भील, निवासी पाटन
9. पोखर पुत्र रूपा मेघवंशी, निवासी पाटन
10. उदय लाल पुत्र चतुर्भुज मेघवंशी, निवासी पाटन
11. सत्यनारायण पुत्र नानुराम मेघवंशी, निवासी पाटन
12. लक्ष्मीचन्द पुत्र कानाराम मेघवंशी, निवासी पाटन
13. महादेव गुर्जर पुत्र जग्गु गुर्जर, निवासी पाटन
14. रमेश कुमार गुर्जर पुत्र हरजी राम गुर्जर, निवासी पाटन तहसील बदनौर जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह भाटी पुत्र सुमेर सिंह भाटी, निवासी पाटन तहसील बदनौर
2. सरपंच ग्राम पंचायत पाटन तहसील बदनौर
3. सचिव ग्राम पंचायत पाटन तहसील बदनौर जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत पाटन तहसील बदनौर के संकल्प संख्या 01 दिनांक 07.09.1999 के अनुसरण में जारी पट्टा दिनांक 20.12.1999

उपस्थित –

1. श्री रामस्वरूप जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री राकेश जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 19.09.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि का विक्रय विलेख का पट्टा जरिये संकल्प संख्या 01 दिनांक 07.09.1999 के जरिये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत रिहायती दर पर भूखण्ड

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

का आवंटन विधि विरूद्ध किया, जिसकी नपती 20 फिट गुणा 30 फिट होकर पड़ौस पूर्व में नहर/सड़क, पश्चिम में धर्मी तालाब की पाल, उत्तर में पड़त भूमि, दक्षिण में पटवार घर के बीच स्थित भूमि का पट्टा जारी करवाया है, जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त होने योग्य है। तथाकथित विक्रय विलेख का पट्टा धर्मी तालाब की पाल जिसके खसरा नं. 2106 रकबा 0.2200 हैक्टेयर गेमु. पाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि धर्मी तालाब की पाल के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। धर्मी तालाब की पाल आराजी संख्या 2106 के लगती हुई पाटन बांध (देव सागर) की नहर की भूमि है और नहर की भूमि व गैमु. पाल के मध्य ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं है, फिर भी ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत जाकर पट्टा जारी किया है। गैर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियम 148 से 157 तक के प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में तथाकथित पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा तथाकथित पट्टा जारी करने से पूर्व उक्त भूमि की विक्रय /निलामी के संबंध में कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई है और न ही गैर निगराकार संख्या 01 को तथाकथित पट्टे की भूमि का कब्जा ही सिपुर्द किया गया है तथा उक्त पट्टा विलेख का नियमानुसार पंजीयन आवश्यक है, लेकिन आज तक उक्त पट्टे का पंजीयन नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टा विलेख फर्जी एवं बनावटी है, जो निरस्त होने योग्य है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पट्टाधारी को पट्टा विलेख की भूमि पर निर्धारित अवधि 01 वर्ष में पट्टा भूमि पर पक्का निर्माण किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। पट्टाधारी द्वारा वर्ष 1999 से आज दिनांक तक तथाकथित पट्टे की भूमि पर पक्का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे भी स्पष्ट है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 से नाजायज लाभ प्राप्त करते हुए अनुचित एवं विधि विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकारगण की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में संकल्प संख्या 01 दिनांक 07.09.1999 के अनुसरण में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख का पट्टा दिनांक 20.12.1999 को विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 22.12.2020 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 व 03 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर

संख्या 2106 क्षैत्रफल 0.2200 हैक्ट. किस्म गे.मु. पाल अंकित है। ग्राम पंचायत पाटन द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी यह अंकित हुआ हैं कि विवादित स्थल खसरा नं. 2106 रकबा 0.2200 हैक्ट. गैर मुमकिन पाल के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने भी प्रश्नगत पटटा गे.मु. पाल पर जारी होने के संबंध में, पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर प्रश्नगत पटटा जारी होने के प्रश्न पर कोई खण्डन व्यक्त नहीं किया है।।

उक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत पाटन द्वारा दिनांक 20.12.1999 को गे.मु. पाल की आराजी पर जो प्रश्नगत पटटा जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के विरूद्व जारी किया जाना स्पष्ट होता हैं। ग्राम पंचायत को गे.मु. पाल की आराजी पर पटटा जारी करने का क्षैत्राधिकार नही हैं। स्वयं ग्राम पंचायत ने भी उक्त प्रश्नगत पटटा गे.मु. पाल पर होना अपने जवाब में अंकित किया हैं। अतः प्रश्नगत पटटा प्रारब्ध से ही शून्य होकर खारिज होने योग्य ठहरता हैं। जिससे निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत पाटन तहसील बदनोर के संकल्प संख्या 01 दिनांक 07.09.1999 के अनुसरण में जारी पटटा दिनांक 20.12.1999 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत पाटन तहसील बदनोर को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा